रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 467] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1975/कार्तिक 24, 1897

No. 467] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975/KARTIKA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th November, 1975

S. O. 655(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

1. This order may be called the Imports (Control) fifth amendment order, 1975.

2. In the Imports (Control) Order, 1955, in Clause 11 (2)(b)(ii) the existing value limit shall be raised from one thousand rupees to two thousand rupees.

[No. 10/75]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975.

का० आ० 655 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए ।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 11(2) (बी) (2) में वर्तमान मूल्य सीमा को एक हजार रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये कर दिया जाएगा ।

[सं० 10/75]

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975